प्रेषक,

जिला उद्यान अधिकारी,
गाजियाबाद।

सेवा में,

1. महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, गाजियाबाद।
2. जिला कृषि अधिकारी, गाजियाबाद।
3. खण्ड विकास अधिकारी, रजापुर, गाजियाबाद।
4. जनपदीय लीड बैंक प्रबन्धक केनरा बैंक।
5. उपायुक्त, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन।
6. जिला विकास प्रबन्धक, नाबार्ड।
7. खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड अधिकारी, गाजियाबाद।
8. मुख्य पुश चिकित्सा अधिकारी, गाजियाबाद।
9. उपश्रमायुक्त, गाजियाबाद।
10. जिला सेवायोजन अधिकारी, गाजियाबाद।
11. एन0आई0सी0 कलेक्ट्रेट, गाजियाबाद।
12. सहायक जिला सूचना अधिकारी, गाजियाबाद।

पत्रांक– 519-31 /पी0एम0एफ0एम0ई0/2020–21 दिनांक– 27/08/2020

विषय–प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना (पी0एम0एफ0एम0ई0) के कियान्वयन के लिए जनपदीय रिसोर्स पर्सन्स नियुक्त किए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उत्तर प्रदेश शासन के खाद्य प्रसंस्करण अनुभाग के शासनादेश संख्या–74/2020/536/58–2–2020–22/2018 टी0ली0–11 दिनांक–16.07.2020 के निर्देशानुसार केन्द्र पोषित पी0एम0एफ0एम0ई (प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना) के अन्तर्गत जिला/क्षेत्रीय स्तर पर लाभार्थी को हैण्ड–होल्डिंग सहायता उपलब्ध कराने के लिए स्टेट नोडल एजेन्सी द्वारा जनपदीय रिसोर्स पर्सन के चयन हेतु निर्धारित योग्यता पत्र के साथ नियुक्त किये जाने का प्राविधान हैः निर्धारित योग्यता पत्र के साथ संलग्न है।

अतः आपसे अनुरोध है कि जनपदीय रिसोर्स पर्सन के चयन हेतु सलंग्नक के अनुसार प्रचार प्रसार कराने की कृपा करें।

संलग्नक–1

भवदीया

जिला उद्यान अधिकारी,
गाजियाबाद।

पृष्ठांकन संख्या– /तद् दिनांक–

प्रतिलिपि– मुख्य विकास अधिकारी, गाजियाबाद की सेवा में सूचनार्थ प्रेषित।

जिला उद्यान अधिकारी,
गाजियाबाद।

उत्तर प्रदेश शासन विज्ञाप्ति के खाद्य प्रसंस्करण अनुभाग के शासनादेश संख्या––74/2020/536 /58–2–2020–22/2018 टी0ली0–11 दिनांक–16.07.2020 के संदर्भ में जनपदीय रिसोर्स पर्सन के चयन हेतु निर्धारित योग्यता सहित नियुक्त किये जाने का प्रावधान है।

1. प्रतिष्ठित राष्ट्रीय/अन्तराष्ट्रीय विश्वविद्यालय/संस्थान से खाद्य प्रौद्योगिकी/खाद्य अभियन्त्रण के डिप्लोमा/डिग्री प्रौद्योगिक उन्नयन नये उत्पाद विकास गुणवत्ता आश्वासन खाद्य सुरक्षा प्रबंधन के लिए खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को परामर्शी सेवाएं प्रदान करने में 3–5 वर्ष का अनुभव यदि खाद्य प्रौद्योगिकी में योग्य व्यक्ति उपलब्ध न हो तो, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, बैंकिंग, डीपीआर, तैयार करने और प्रशिक्षण में अनुभव रखने वाले व्यक्ति लिए जा सकते है।

2. रिसोर्स पर्सन्स व्यक्तिगत इकाईयों और समूहों को डी0पी0आर0 तैयार करने के लिए, बैंक से ऋण लेने एफ.एस.एस.ए.आई के खाद्य मानकों उद्योग आधार, जी0एस0टी0 पंजीयन आदि आवश्यक पंजीकरण एवं लाईसेंस प्राप्त करने जैसे हैंड–होल्डिंग सेवाएं प्रदान करेंगे।

3. प्रत्येक लाभार्थी को उपलब्ध करायी गयी सहायता के आधार पर रिसोर्स पर्सन का भुगतान, बैंक से उसको ऋण की स्वीकृति के उपरान्त किया जायेगा। प्रत्येक रिसोर्स पर्सन को रू0–20000/–प्रति बैंक ऋण स्वीकृति के दर से भुगतान किया जायेगा। स्वीकृति राशि के सापेक्ष 50 प्रतिशत का भुगतान बैंक से ऋण की स्वीकृति के पश्चात् और शेष 50 प्रतिशत राशि का भुगतान उद्योग को जीएसटी एवं उद्योग आधार पंजीकरण प्राप्त होने तथा एफ0एस0एस0ए0आई मानको के अनुपालन, परियोजना के कियान्वयन तथा प्रशिक्षण प्रदान करने के पश्चात् किया जायेगा।

4. अधिक जानकरी हेतु पात्र व्यक्ति जिला उद्यान अधिकारी गाजियाबाद, कार्यालय से सम्पर्क स्थापित करें।

जिला उद्यान अधिकारी
गाजियाबाद।